

7- भागीदारी विघटन का विलेख

भागीदारी के विघटन का यह विलेख आज दिनांक माहसन् को के दिन निम्नलिखित पक्षकारों के बीच निष्पादित किया गया –

(1) श्री आत्मज आयु निवासी

प्रथम पक्षकार

(2) श्री आत्मज आयु निवासी

.....

द्वितीय पक्षकार

(3) श्री आत्मज आयु निवासी

.....

तृतीय पक्षकार

चूंकि उपरोक्त पक्षकारों ने दिनांक ----- को एक भागीदारी फर्म का गठन किया था एवं एक भागिता विलेख का निष्पादन कर दिया था तथा उल्लिखित शर्तों के अनुसार दिनांक ----- तक फर्म का व्यवसाय करते रहे थे। उक्त भागीदारी फर्म की निम्नलिखित अनुसूची में अंकित अचल सम्पत्तियां हैं, और चूंकि सभी पक्षकारों द्वारा पारस्परिक रूप से यह निश्चय किया गया था कि उक्त भागीदारी फर्म का विघटन कर दिया जाये एवं फर्म की सारी पूंजी एवं उसके सभी लाभों को फर्म के ऋण आदि की अदाकारी कर शेष को विलेख में उल्लिखित शर्तों के अनुसार पक्षकारों में विभाजित कर दिया जाये। अतएव यह विलेख साक्ष्य है कि हम उक्त भागीदारीगण भागिता विघटन करार की निम्नलिखित शर्तों के अन्तर्गत सहमत होते हैं:-

(1) यह कि उक्त भागीदारी फर्म का दिनांक से विघटन एवं भागीदारों के बीच किये गये भागिता करार का पर्यवसान समझा जायेगा तथा उक्त दिनांक से कोई भी भागीदार न तो संयुक्त रूप से ओर न ही पृथक रूप से भागीदारी फर्म के नाम से वर्षों तक कोई व्यापार-व्यवसाय कर सकेगा।

(2) यह कि दिनांक तक भागीदारी फर्म का सारा लेखा जोखा तैयार किया जायेगा एवं भागिता फर्म द्वारा किये गये ऋणों को वसूल करना होगा।

(3) यह कि भागिता फर्म की सारी पूंजी, चल/अचल सम्पत्ति, परिसम्पत्ति, वसूल किये गये ऋण आदि की एक सूची तैयार की जायेगी एवं उसमें से भागिता फर्म पर के कर्जों की अदायगी एवं अन्य खर्चों को निकालकर शेष को सभी पक्षकारों में भागिता विलेख की शर्तों के अनुसार विभाजित कर दिया जायेगा।

(4) कि भागीदारी फर्म के विघटन के पश्चात् किसी प्रकार की कोई हानि या ऋण का पता चलता है तो सभी पक्षकारों को समान रूप से उसे वहन करना पड़ेगा।

(5) कि फर्म के विघटन के पश्चात् ऐसी किसी देनगी का पता चलता है, जोकि किसी पक्षकार ने अन्य पक्षकारों से छिपाकर अपने व्यक्तिगत लाभ के लिये अर्जित किया था, जिसको अदा करने का दायित्व स्वयं उस पक्षकार पर होगा।

(6) भागीदारी के ऋणों एवं दायित्वों को चुकाने के बाद शेष धनराशि में उक्त भागीदारों को पूंजी चुकाई जायेगी एवं शेष सम्पदा को भागीदारों में उनके लाभ (विभाजन के अंश के) अनुपात में बांटा जायेगा। यदि कोई हानि होती हो सभी भागीदार उसी अनुपात में उसको वहन करेंगे। अचल सम्पत्तियों का विवरण (यदि कोई है)

उपरोक्त के साक्ष्यस्वरूप उक्त भागीदारों ने विघटन के इस करार, जिसे दिनांक के भागिता विलेख के साथ संलग्न कर दिया गया है, को हस्ताक्षरित कर निष्पादित कर दिया है।

हस्ताक्षर, प्रथम पक्षकार

हस्ताक्षर, द्वितीय पक्षकार

हस्ताक्षर, तृतीय पक्षकार

साक्षीगण (नाम, पिता का नाम व पता)

(1)

(2)